भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1432

5 दिसम्‍बर, 2011 के लिए प्रश्‍न

**पीडीएस खाद्यान्नों के लाभान्वितों की बढ़ती संख्या**

1432. डा0 टी0 एन0 सीमा:

 क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पात्र लाभान्वितों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के लोगों को सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए चावल और गेहूं की विभिन्न किस्मों की कितनी मात्रा खरीदने की आवश्यकता है;

(घ) पीडीएस के माध्यम से वितरण हेतु सरकार द्वारा वर्तमान में कितना-कितना चावल और गेहूं खरीदा जा रहा है; और

(ङ) सरकार इस अन्तर को किस प्रकार भरने का विचार रखती है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(प्रो0 के0वी0 थॉमस)

**(क),(ख),(ग),(घ) और (ङ):** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों को खाद्यान्‍नों (गेहूं और चावल) का आबंटन करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों और 1 मार्च, 2000 की स्‍थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों पर आधारित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्‍या अथवा ऐसे वास्‍तव में पहचान किए गए परिवारों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उन्‍हें जारी किए गए राशन कार्डों की संख्‍या, जो भी कम हो, का उपयोग करता है। इन अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्‍या 6.52 करोड़ है जिसमें 2.44 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवार शामिल हैं।

 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश भर में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने और जातीय जनगणना करने के संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संयुक्‍त जनगणना कने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है। संयुक्‍त सामाजिक-आर्थिक और जातीय जनगणना, 2011 दिनांक 29-6-2011 को शुरू की गई है। भारत सरकार उस विशिष्‍ट हकदारी का निर्धारण करने के लिए सामाजिक-आर्थिक और जातीय जनगणना, 2011 में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर वंचन के उन बहुआयामों को हिसाब में लेगी जो ग्रामीण परिवार सामाजिक-आर्थिक और जातीय जनगणना, 2011 के सर्वेक्षण परिणाम उपलबध होने और विश्‍लेषण करने के बाद लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित केन्द्र सरकार के विभिन्‍न कार्यक्रमों और स्‍कीमों के अधीन प्राप्‍त होंगे।

.........2...

- 2 -

 यदि 35 किलोग्राम खाद्यान्‍न प्रति परिवार प्रति माह की मात्रा पर 31-8-2011 तक राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा जारी किए गए 24.02 करोड़ राशन कार्डों के लिए खाद्यान्‍नों (गेहूँ और चावल) का आबंटन किया जाता है, तो इन परिवारों की वास्‍तविक आवश्‍यकता लगभग 100.88 मिलियन टन गेहूँ और चावल प्रति वर्ष होगी।

 भारत सरकार ने रबी विपणन मौसम 2011-12 के दौरान 281 लाख टन गेहूं और खरीफ विपण मौसम 2011-12 के दौरान (1-12-2011 तक) 113.72 लाख टन चावल खरीदा है। खरीफ विपणन मौसम 2011-12 के दौरान चावल खरीद के प्रचालन अभी भी चल रहे हैं।

 राजसहायता प्राप्‍त खाद्यान्‍नों और चीनी का वितरण करने के लिए समाज के गरीब वर्गों को विशेष रूप से लक्षित करने की दृष्‍टि से 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी। सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सर्वसुलभ बनाने का प्रस्‍ताव नहीं है क्‍योंकि इससे गरीबों पर से ध्‍यान कम हो जाएगा।

 सर्वसुलभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरत को पूरा करने के लिए गेहूँ और चावल की अत्‍यधिक मात्रा की खरीदारी करने के परिणामस्‍वरूप बाजार में खाद्यान्‍नों की उपलब्‍धता कम हो जाएगी जिससे खुले बाजार में मूल्‍य बढ़ जाएंगे। यदि खाद्यान्‍नों की इसी मात्रा का वितरण सभी के बीच सामान्‍य रूप से किया जाता है तो निर्गम की मात्रा घटानी होगी।

\*\*\*\*\*\*\*